L. A. BILL No. XX OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २० सन् २०२१।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. ६।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगरपरिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, १ अक्तूबर २०२१ प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम मे बदलना इष्टकर है : अत:, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण । **१.** (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ कहलाए।

(२) यह १ अक्तूबर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का महा. ३ की धारा ५क में संशोधन। **२.** मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ५क की, उप-धारा(४) के, खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का महा. ३।

“ (**क**) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें, नगर निगम में सीधे, निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली सीटों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक होगी और कुल आरक्षण, नगर निगम में कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा ;”।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५क में संशोधन। **३.** महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की, धारा ५क की, उप-धारा (१) के, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

“ (**ग**) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें, नगर निगम में सीधे, निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली सीटों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक होगी और कुल आरक्षण, नगर निगम में कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा तथा ऐसी सींटे, नगर निगम में विभिन्न प्रभागों को चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जायेगी :

परंतु, इस प्रकार आरक्षित सीटों की कुल संख्या की आधी सीटें नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जायेगी ; ”।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९ में संशोधन। **४.** महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा ९ की, उप-धारा (२) के खण्ड (घ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४०।

“ (घ) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें, नगर परिषद में सीधे, निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली सीटों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक होगी तथा कुल आरक्षण, नगर परिषद में, कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा :

परंतु, इस प्रकार आरक्षित सीटों की कुल संख्या की आधी सीटें नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जायेगी । ”।

अध्याय पाँच

विविध

सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति । **५.** (१) मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. ६।

सन् १८८८ का ३। (२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम,
सन् १९४९ का,. ५९। १९६५ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन
सन् १९६५ का महा. ४०। कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

ɣ

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की, धारा ५क (४) (क), महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५क (१) (ग) और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा.४०) की धारा ९(२) (घ) क्रमशः नगर निगमों तथा नगर परिषदों में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करती है। उक्त अधिनियम, नगर निगमों और नगर परिषदों में सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली सीटों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत का आरक्षण नागरिकों के पिछड़े वर्ग लिए रखने का उपबंध करते है।

२. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांकित २७ जुलाई २०१८ और १४ फरवरी २०२० की अधिसूचना तथा अन्य अधिसूचना जारी की गई थी और तद्नुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने, **जिला परिषद** और **पंचायत समिति** के निर्वाचनों का आयोजन किया था।

३. महाराष्ट्र **जिला परिषद** और **पंचायत समिति अधिनियम**, १९६१ (सन् १९६२ का महा.५) की धारा १२ (२) (ग) के उपबंध तथा वाशिम, अकोला, नागपुर और भंडारा जिले की **जिला परिषदों** तथा **पंचायत समितियों** के संबंध में ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण का उपबंध करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांकित २७ जुलाई २०१८ और १४ फरवरी २०२० को जारी की गई अधिसूचनाओं को, विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (सन् २०१९ की रिट याचिका (सिविल) क्रमांक ९८०) में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौति दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांकित ४ मार्च २०२१ के उनके आदेश द्वारा उक्त अधिसूचना अवैध और अनस्तित्व होनेवाले अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का जिस हद तक वह उपबंध करते हैं, उस हद तक उक्त अधिसूचना खारिज की है और इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित स्थानीय निकायों के अनुस्मारक अवधि के लिए सामान्य/खुले प्रवर्ग के उम्मीदवारों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तुरंत भरी जाने की घोषणा करने के कारण हुई सीटों की रिक्ति की उक्त अधिसूचना खारिज की है। उच्चतम न्यायालय ने, यह भी निर्णय दिया है कि, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों में अन्य पिछड़े वर्ग के पक्ष में का आरक्षण इस हद को अधिसूचित किया जा सकेगा कि, वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो को एक साथ पक्ष में कुल सीटों के आरक्षण के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

४. उक्त न्यायनिर्णय के परिच्छेद १२ में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण करने के पूर्व, राज्य द्वारा तीन परीक्षण/शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है :— (१) राज्य के भीतर, स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन के स्वरूप और विवक्षाओं में की समकालीन सख्त जाँच करने के लिए सर्मपित आयोग स्थापित करानें, (२) आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नियोजित की जानेवाले स्थानीय निकाय को आवश्यक आरक्षण का अनुपात विनिर्दिष्ट करनें ताकि अत्याधिक गलतियाँ न हों ; और (३) किसी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो को साथ लेकर के पक्ष में कुल सीटों के आरक्षण के कुल मिलाकर ५०ं प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

उक्त न्यायनिर्णय के अनुसरण में, सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ (सन् २००६ का महा. ३४) के अधीन गठित महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उक्त कार्य के लिए नियुक्त किया है। आयोग को, उक्त प्रयोजन के लिए समकालिन सख्त जाँच को आयोजित करने के लिए समय की आवश्यकता होगी।

५. उक्त न्यायनिर्णय में के परिच्छेद २८ में उच्चतम न्यायालय ने, यह निर्णय दिया है कि, सन् १९६१ के अधिनियम की धारा १२(२)(ग) की विधिमान्यता को दी गई चुनौती नकारात्मक है। इसके बदले वह उपबंध पढ़ा जाना है कि संबंधित स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में का आरक्षण यह अधिसूचित कर सकेगा कि यह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लेकर आरक्षित कुल सीटों के कुल मिलाकर

५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अन्य शब्दों में, अभिव्यक्ति का अर्थ, धारा १२(२) (ग) में अस्तित्व में होनेवाले पिछला २७ प्रतिशत, " हो सकेगा " के आशय में है समेत का अर्थ यह है कि अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण २७ प्रतिशत तक हो सकेगा परंतु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लेकर के पक्ष में कुल मिलाकर ५० प्रतिशत की बाह्य सीमा के अध्यधीन इस न्यायालय के संविधान न्यायपीठ द्वारा ऐसा कहा गया है।

६. उक्त न्यायनिर्णय को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय प्राधिकरणों में आरक्षण नहीं है। स्थानीय प्राधिकरणों में अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, सरकार ने, मध्यांतरिक उपाय के रूप में यह विनिश्चित किया गया है कि, नगर निगमों तथा नगर परिषदों में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए २७ प्रतिशत तक आरक्षण देने के लिए उपबंध करने तथा यह उपबंध करना कि, स्थानीय निकायों में कुल आरक्षण कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसलिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ५क (४) (क), महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५क (१) (ग) तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा ९(२) (घ) में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित था।

७. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए,मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. ६) १ अक्तूबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ।

८. प्रस्तूत विधेयक का आशय, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित ३ नवम्बर २०२१।

एकनाथ शिंदे,
नगर विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ३० नवम्बर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई